फर्द अहकाम

बघेरा सिंह बनाम फूलचन्द

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

मुकदमा संख्या 59/2024 आदेश 09 R13 CPC

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	3/5/24 लगातार	आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 15/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)	
	15/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस उभयपक्ष पर सुन लिया। पत्रावली, प्रस्तुत व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि प्रार्थी के वकील अरिंदे रजिस्टर्ड डाक से विधिवत रूप से रवाना गई है एवं रजिस्टर्ड ए.डी. पर प्रार्थी बघेरा सिंह के हस्ताक्षर है, जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी को प्रकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है एवं जानबूझकर उपस्थित नहीं आये है। प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 11/3/2019 को नियमानुसार विधिवत रूप से प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही (अनुपस्थित बावजूद सूचना व वकील के रहने) की गई। प्रार्थी बाद प्रस्तुत प्रकरण व उक्त कार्यवाही में पेश कोई सुदृढ़ उक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे की आदेश 09 R13 सी.पी.सी. स्वीकार किया जा सके। अतः प्रार्थी/वकील प्रार्थी के बाद प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. संबंधित कानूनी अवधारणों की त्रुटि नहीं करने से एवं कोई सुदृढ़ कारण पेश नहीं करने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 09 R13 सी.पी.सी. सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)	